न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 46/2024

1. महेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण, आयु 68 वर्ष
2. भगवान सिंह पुत्र लक्ष्मण, आयु 64 वर्ष
3. रामकुमार पुत्र लक्ष्मण,, आयु 55 वर्ष
4. रामनिवास पुत्र लक्ष्मण, आयु 53 वर्ष
5. चावली पत्नी गिरधारी, आयु 71 वर्ष जिला
6. मनोज कुमार पुत्र गिरधारी, आयु 42 वर्ष
7. सुनिल कुमार पुत्र गिरधारी, आयु 40 वर्ष

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम टॉई तहसील झुंझुनूं (राज.) बिसाऊ,

8. सुमन पुत्री गिरधानी पत्नी सरेन्द्र सिंह, आयु 49 वर्ष, जाति जाट निवासी दीलसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं (राज.)
9. अमिता पुत्री गिरधारी पत्नी संजीव कुमार, आयु 44 वर्ष जाति जाट निवासी मिठवास, तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज.)
10. संतोष पुत्री गिरधारी पत्नी अशोक कुमार, आयु 43 वर्ष जाति जाट निवासी कालेरा का बास, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज.)

बनाम

1–राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिसाऊ जिला झुझुनूं।

प्रतिवादी

दिनांक 13.02.2025

दावा घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम टॉई तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं में जमीन गत खसरा नं 414/1 रकबा 40 बीघा स्थित है, जिसके हाल खसरा नं. 1102, 1103, 1104, 1105 व 1106 कुल किता 5 कुल रकबा 10.12 हैक्टेयर है।उपरोक्त जमीन का खातेदार काश्तकार पहले नाराणा पुत्र चेता था। नाराणा के एकमात्र भाई लिक्ष्मण उर्फ लक्ष्मण पुत्र चेता था। उक्त नाराणा आजीवन अविवाहित व नाऔलाद रहा। उक्त नाराणा को देहान्त हुए काफी अरसा हो गया तथा उसके भाई लक्ष्मण का देहान्त हुए भी काफी अरसा हो गया। वादीगण संख्या 1 लगायत 4 उक्त लिक्ष्मण के पुत्र है तथा वादी संख्या 5 लगायत 10 लिक्ष्मण के मृतक पुत्र गिरधारी के वारिस है।जमीन उपरोक्त अनुसार नाराणा के खातेदारी की भूमि थी लेकिन नाराणा अविवाहित तथा नाऔलाद फौत हो गया था इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार विधि के अनुसार उसकी खातेदारी की भूमि वर्णित धारा 1 वादीगण को मिली जिसमे वादी संख्या 1 लगायत 4 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा वादी संख्या 5 लगायत 10 का संयुक्त रुप से 1/5 हिस्सा है तथा अपने–अपने हिस्से के अनुसार वादीगण उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा इसी अनुसार अपने हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है।नाराणा के अविवाहित व नाऔलाद फौत हो जाने से हिन्दू उत्तराधिकार विधि के अनुसार उसकी भूमि वादीगण को मिली लेकिन इसके लिए दर्ज इन्तकाल जो वादीगण के हक मे भरा गया था उसमे त्रुटिवश वादीगण के पिता का नाम नाराणा ही दर्ज कर दिया गया जबकि वादीगणके पिता का नाम लक्ष्मण दर्ज किया जाना चाहिए था। इस प्रकार वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाने के अधिकारी है।जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र पर कृषि ऋण लेने के लिए वादीगण ने उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की नकल निकलवाई तब वादीगण को गलत राजस्व रिकॉर्ड के बारे में पता चला।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

गलत राजस्व रिकॉर्ड होने से वादीगण किसी भी प्रकार भूमि के बाबत कोई सरकारी योजना व अन्य कृषि लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गये है तथा भविष्य मे वादीगण के वारिसान के नाम भी उक्त भूमि दर्ज होने मे कानूनी अड़चन व बाधा रहेगी।वादीगण के पिता का नाम लक्ष्मण है तथा वादीगण ने सभी दस्तावेजों मे भी वादीगण के पिता का नाम लक्ष्मण ही है। अतः पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भी वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।वादीगण ने पैरा नं. 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने के लिए अदालत हाजा के समक्ष एक आवेदन पत्र अः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पेश किया था जिसमे माननीय न्यायालय ने तहसीलदार बिसाऊ से उक्त खसरा नं. के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवायी थी जिससे तहसीलदार बिसाऊ ने माननीय न्यायालय में अपनी रिपोर्ट क्रमांक भू. अ./2023/236 दिनांक 21.03.2023 पेश की, रिपोर्ट अनुसार लक्ष्मण पिता चेता व नाराणा पिता चेता दो भाई थे। नाराणा कुंवारा, नाऔलाद फौत होने पर उनकी भूमि लक्ष्मण के पुत्रगण गिरधारी, भगवाना, महेन्द्र, राजकुमारामनिवास के नाम दर्ज हो गयी थी परन्तु पिता का नाम नाराणा दर्ज हो गया था।परन्तु माननीय न्यायालय ने उक्त आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2024 को लिपिकीय त्रुटि न होकर वाद का विषय हैं के आधार पर अस्वीकार कर खारिज कर दिया। इस कारण वादीगण को मौजूदा दावा के लिए वादकारण पैदा हुआ।कृषि भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती करवाने के लिए कानूनन कोई मियाद नियत नहीं है। इस कारण दावा अन्दर मियाद पेश है।अतः वाद वादीगण पेशकर निवेदन है कि वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जाकर (क) जमीन हाल खसरा नं. 1102, 1103, 1104, 1105 व 1106 कुल किता 5 कुल रकबा 10.12 हैक्टेयर वाके ग्राम टॉई तहसील बिसाऊ में वादी नं. 1 लगायत 4 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा वादी नं. 5 लगायत 10 का संयुक्त रुप से 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। घोषणा के मुताबि राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड दर्ज वादीगण के पिता का सही नाम लक्ष्मण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जावे।

उत्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये कोर्ट नोटिस से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या संख्या 01 तहसीलदार बिसाऊ ने पत्रांक राजस्व/2025/13 दिनांक 13.01.2025 के द्वारा जबाब पेश किया कि ग्राम टांई के जमीन के गत खसरा नम्बर 414/1 रकबा 40 बीघा के हाल खसरा नम्बर 1102, 1103, 1104, 1105 व 1106 किता 5 रकबा 10.12 है0 है। अतः बिन्दु संख्या 1 स्वीकार है।वाद पत्र में बिन्दु संख्या 2 स्वीकार है।नाराणा अविवाहित व नाऔलाद फोत हो जाने पर उक्त भूमि विरासत के नामान्तरकरण से गिरधारी, भगवाना, महेन्द्र, रामकुमार, रामनिवास पि. नाराणा दर्ज हो गया था। अतः वाद पत्र का बिन्दु संख्या 3 स्वीकार है।नाराणा के नामान्तरकरण के दौरान गिरधारी, भगवाना, महेन्द्र, रामकुमार, रामनिवास के पिता का नाम लक्ष्मण के बजाय नाराणा ही दर्ज हो गया था। अतः विन्दु संख्या 4 स्वीकार है।मौका जांच पर पाया गया कि उक्त भूमि पर वादीगण ही कब्जा काश्त करते है। बिन्दु संख्या 5 के शेष कथन वादी स्वयं सिद्ध करें। श्रीमानजी वाद पत्र के शेष बिन्दु माननीय न्यायालय से संवंधित है।

वादी द्वारा दस्तावेजात के रुप में खसरा मिलान क्षेत्रफल,नामान्तरकरण संख्या 334,जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2042, 2031–35,2027–2030 पेश किये गये।

विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से मियाद पेश है।अतः वाद वादीगण पेशकर निवेदन है कि वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जाकर (क) जमीन हाल खसरा नं. 1102, 1103, 1104, 1105 व 1106 कुल किता 5 कुल रकबा 10.12 हैक्टेयर वाके ग्राम टॉई तहसील बिसाऊ में वादी नं. 1 लगायत 4 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा वादी नं. 5 लगायत 10 का संयुक्त रुप से 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। घोषणा के मुताबि राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड दर्ज वादीगण के पिता का सही नाम लक्ष्मण दर्ज किया जाने का आदेश फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भादरा

विधि में भूमि की धोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा धारा 88 में अधिकारों की धोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बिसाऊ रिपोर्ट कमांक 13 दिनांक 17.01.2025 क अनुसार पूर्व खातेदार नाराणा अविवाहित व नाऔलाद फौत हुआ है। उक्त नाराणा के फौतगी नामातरकरण से वादीगण के पिता का नाम नाराणा दर्ज हुआ है। वादीगण के पिता का सही नाम लक्ष्मण है । ऐसी स्थिती में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

निर्णय

अतः वाद वादी से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम टाई की जमीन खसरा नं. 1102, 1103, 1104, 1105 व 1106 कुल किता 5 कुल रकबा 10.12 हैक्टेयर में दर्ज खातेदारों के पिता नाम नाराणा के स्थान पर लक्ष्मण किये जाने की घोषणा की जाती है। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा घोषणार्थ एव रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 46/2024 महेन्द्र सिंह बनाम सरकार जरिये तहसीलदार बिसाऊ वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 13.02.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम टांई खसरा नं. 1102, 1103, 1104, 1105 व 1106 कुल किता 5 कुल रकबा 10.12 हैक्टेयर में दर्ज खातेदारों के पिता नाम नाराणा के स्थान पर लक्ष्मण किये जाने की घोषणा की जाती है।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.02.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा